न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या– 24/2019 निर्णय दिनांक – 10.04.2019

राजेश पिता श्री बसंतीलाल जैन जाति जैन महाजन आयु 45 वर्ष निवासी एस.डी.एम.कोर्ट के पीछे, आदर्श कॉलोनी, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

– प्रार्थी

//बनाम//

1. मांगु पिता भागीरथ जाति नंगारची आयु 70 वर्ष निवासी कचरिया खेडी पटवार हल्का ढोरिया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
2. डालिया पिता मांगु जाति मेघवाल आयु 68 वर्ष निवासी कचरिया खेडी पटवार हल्का ढोरिया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
3. शंकर पिता मांगु जाति मेघवाल आयु 55 वर्ष निवासी कचरिया खेडी पटवार हल्का ढोरिया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
4. चांदी बाई पत्नि डालिया जाति मेघवाल आयु 62 वर्ष निवासी कचरिया खेडी पटवार हल्का ढोरिया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
5. कंकु बाई पत्नि शंकर जाति मेघवाल आयु 52 वर्ष निवासी कचरिया खेडी पटवार हल्का ढोरिया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा कचरिया खेडी पटवार हल्का ढोरिया की खाता संख्या 278 की आराजी नं0 939/342 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी नं0 940/343 रकबा 0.1500 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.1700 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 200/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा कचरिया खेडी पटवार हल्का ढोरिया की खाता संख्या 278 की आराजी नं0 939/342 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी नं0 940/343 रकबा 0.1500 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.1700 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 10.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2019.12.05 18:15:24 IST
Reason: SelfAttested